विविध बैंक प्रकरण सं0 80/2017 (RCMS 2017/00149) भारतीय स्टेट बैंक शाखा गजसिंहपुर श्रीगंगानगर जरिये श्री भोलाराम शीला मुख्य प्रबन्धक, शाखा गजसिंहपुर भारतीय स्टेट बैंक, श्रीगंगानगर बनाम 1. श्री इकबाल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह स्थिति चक 39 बीबी गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर 2. श्री लालचन्द पेड़ीवाल पुत्र श्री जगराज स्थित धानमण्डी, गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.05.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्त उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण श्री इकबाल सिंह एवं श्री लालचन्द को ऋण सुविधा के रूप में 4.00 लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) का ऋण दिनांक 15.12.2007 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री इकबाल सिंह की अचल सम्पत्ति रिहायशी मकान संख्या–ई, किला नं. 20–21, चक 39 बीबी रायसिंहनगर–गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 16110 वर्गफुट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.06.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 24.11.2016 को 4,19,497/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 24.11.2016 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों श्री इकबाल सिंह एवं श्री लालचन्द द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी श्री इकबाल सिंह की अचल सम्पत्ति रिहायशी मकान संख्या–ई, किला नं. 20–21, चक 39 बीबी रायसिंहनगर–गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 16110 वर्गफुट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी श्री इकबाल सिंह एवं श्री लालचन्द को 4.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री इकबाल सिंह की अचल सम्पत्ति रिहायशी मकान संख्या–ई, किला नं. 20–21, चक 39 बीबी रायसिंहनगर–गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 16110 वर्गफुट) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **30.06.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 24.11.2016 भिजवाये गये।** श्री इकबाल सिंह एवं श्री लालचन्द को धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस वितरण के फलस्वरूप पोस्ट ऑफिस की प्राप्ति रसीद पेश की है जिसके अनुसार श्री इकबाल सिंह का नोटिस मनदीप कौर पर तामील हुआ है एवं ऋणी श्री लालचंद पर जो तामील हुई

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

है, जिसकी तामील के स्वरूप जो पोस्ट ऑफिस की एडी की रसीद पेश की है उस पर जो हस्ताक्षर प्राप्ति के स्वरूप किये गये है वह पत्रावली पर उपलब्ध Deed of Gurantee पर किये गये लालचन्द के हस्ताक्षरों से बिल्कुल भिन्न है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी **अचल सम्पत्ति** रिहायशी मकान संख्या–ई, किला नं. 20–21, चक 39 बीबी रायसिंहनगर–गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 16110 वर्गफुट) जो ऋणी इकबाल सिंह के नाम से है **और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता में कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।**

जहां तक धारा 13(2) के ज़ारी नोटिस 24.11.2016 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 24.11.2016 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण श्री इकबाल सिंह एवं श्री लालचंद के नाम जारी किये गये है जिसमें श्री इकबाल सिंह का नोटिस उसकी पुत्री मनदीप कौर पर तामील होकर प्राप्त हुआ है एवं ऋणी श्री लालचंद पर जो तामील हुई है जिसकी तामील के स्वरूप जो एडी की रसीद पेश की है

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त एजेण्ट पर तामील होना आवश्यक है। मनदीप कौर जो कि ऋणी श्री इकबाल सिंह की पुत्री है न की उसकी अभिकर्त्ता। इसलिए मनदीप कौर पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणी इकबाल सिंह पर होना नहीं मानी जा सकती और ऋणी श्री लालचंद पर जो तामील हुई है जिसकी तामील के स्वरूप जो एडी की रसीद पेश की है, उस पर जो हस्ताक्षर प्राप्ति के स्वरूप किये गये है वह पत्रावली पर उपलब्ध Deed of Gurantee पर किये गये लालचन्द के हस्ताक्षरों से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए लालचन्द स्वयं पर नोटिस की तामील होना नहीं मानी जा सकती है। इसलिए प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, जरिये श्री भोलाराम शीला मुख्य प्रबन्धक शाखा गजसिंहपुर भारतीय स्टेट बैंक, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2017 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **अस्वीकार किया जाता है और प्रार्थी बैंक** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 में प्रावधानानुसार **अप्रार्थीगण की पुनः तामील** करवाकर इस न्यायालय में पुनः प्रकरण पेश करने के लिए स्वतंत्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर